पत्रांक–5 न0वि0/विविध–05/2018 3029 /न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक–19/6/19

विषय :– **नगर निकायों के कर्मियों को पंचम/षष्ठम वेतनमान की स्वीकृति के फलस्वरूप निर्धारित वेतन के सत्यापन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 2723 दिनांक 13.04.2017 एवं 3933 दिनांक 25.07.2018 द्वारा नगर निकायों के कर्मियों को पंचम/षष्ठम वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है। संकल्प संख्या 2723 दिनांक 13.04.2017 की कंडिका 7 में निर्धारित वेतन पर विभाग का सत्यापन के उपरांत ही आर्थिक लाभ भुगतान किये जाने का निदेश है। इस संदर्भ में विभागीय पत्र संख्या 740 दिनांक 06.02.2018 द्वारा निर्धारित वेतन पर सत्यापन हेतु प्रस्ताव भेजते समय कर्मीवार सेवा पुस्तिका की मूल प्रति एवं उसकी एक सत्यापित छायाप्रति के साथ यह प्रमाण पत्र अंकित किये जाने का निदेश दिया गया था कि कर्मी की नियुक्ति स्वीकृत बल के विरूद्ध एवं नियमानुसार की गई है। इस संदर्भ में कतिपय नगर निकायों से सत्यापन हेतु प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में निम्न कमियाँ पाई जा रही है:–

(i) कर्मी की सेवा पुस्तिका में नियुक्ति आदेश तथा सेवा संपुष्ट होने की प्रविष्टि नहीं है।

(ii) प्रेषित प्रस्ताव में केवल यह अंकित किया गया है कि संबंधित कर्मी की नियुक्ति वैध/नियमानुसार है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संबंधित कर्मियों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया अपनाकर की गई है अथवा नहीं।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त क्रमांक (i) में अंकित कमियों के निवारण के साथ प्रेषित सत्यापन प्रस्ताव में यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाय कि संबधित कर्मियों की नियुक्ति तत्समय प्रवृत्त नियमों एवं प्रावधानों के आलोक में विहित प्रक्रिया का पालन कर स्वीकृत पद के विरूद्ध की गई है।

उपर्युक्त अनुसार अविलम्ब सत्यापन का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

19.6.19

सरकार के विशेष सचिव।